राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3936/2016
डॉ. सुरेश मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सौरभ पुरोहित, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के रूप में हुई थी। अपीलार्थी अपनी सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रैणी जिला अलवर मे प्रदान कर रहा था। वर्ष 2014 में अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/14 अपराध अन्तर्गत धारा 218, 193 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज हुई। उक्त एफआईआर दर्ज होने के पश्चात अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.05.2015 के द्वारा निलम्बित किया गया। फौजदारी प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बरी किया गया एवं अपीलार्थी के विरूद्ध दोषमुक्त का आदेश दिनांक 08.06.2016 न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ, अलवर द्वारा पारित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 11.07.2016 को बहाल किया गया। उक्त आदेश दिनांक 11.07.2016 में यह भी अंकित किया गया है कि निलम्बन आदेश दिनांक 05.05.2015 पूरी तरह से अवैध नहीं है एवं डॉ. सुरेश मीणा संदेह से परे दोषमुक्त नहीं हुए हैं। यह भी आदेश दिया गया कि निलम्बन अवधि में सभी प्रयोजनार्थ सेवाकाल माना जाए एवं जो वेतन भत्ते निलम्बन काल में दिये थे, उसके अलावा अन्य कोई वेतन नहीं

दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 11.07.2016 को इस अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त किया गया। अपीलार्थी बाइज्जत बरी हुआ है। ऐसे में निलम्बन काल में पूर्ण वेतन, भत्ते एवं अन्य वित्तिय लाभ प्रदान किये जाने चाहिए थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि आदेश दिनांक 11.07.2016 में अपीलार्थी को सभी प्रयोजनार्थ सेवाकाल में माने जाने के आदेश दिये थे। ऐसे में अपीलार्थी को सभी वेतन भत्ते प्रदान किये जाने चाहिए थे। अपीलार्थी को समस्त वेतन भत्ते नहीं दिया जाना नियम–54(2) राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि फौजदारी न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपराध अन्तर्गत धारा 219, 193 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित किया गया है। इस प्रकार दोषमुक्त किया जाना बाइज्जत बरी किये जाने की श्रेणी में आता है और ऐसे में अपीलार्थी निलम्बन काल में समस्त वेतनभत्ते प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि निलम्बन काल को सेवावधि में माना गया है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> " It is, therefore, humbly prayed that the appeal may kindly be allowed and the order dated 11/07/2016 passed by the respondents be quashed and set aside to the extent of denial of pay and allowances during the suspension period and the respondents be further directed to grant the entire pay and allowances for the period of suspension to the appellant. Further any order passed contrary to above may be quashed and set aside. The recovery orders if any passed may kindly be quashed and set aside
>
> Any other relief, which is just and reasonable in the circumstance of the case may also kindly be given in favour of the appellant. "

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 11.07.2016 में किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं है। अपीलार्थी को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ अलवर के निर्णय दिनांक 08.06.2016 के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 218, 193 भारतीय दण्ड संहिता को आरोपों में संदेह का लाभ प्रदान कर दोष मुक्त किया गया। अतः राजस्थान सेवा नियम के नियम 54 (1), (3) के अन्तर्गत अपीलार्थी के संदर्भ में प्रसारित निलम्बन आदेश दिनांक 05.05.2015 पूरी तरह

से अवैध नही है एवं अपीलार्थी संदेह से परे दोष मुक्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध अपील के संबंध में होने वाले निर्णय के अध्यधीन अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किया गया, अपीलार्थी की निलम्बन अवधि को सभी प्रयोजनो से सेवाकाल पाये जाने एवं जो वेतन भत्ते निलम्बन काल में दिये गये थे उसके अलावा अन्य कोई वेतन भत्ते नहीं दिये जाने का आदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त किया गया।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. नियम–54(2) राजस्थान सेवा नियम में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः–

> "**<u>नियम 54. पुनःस्थापित अथवा बहालगी :</u>** (1) एक राज्य कर्मचारी जो सेवा से निष्कासित अथवा बर्खास्त कर दिया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत कर दिया गया हो या निलम्बित कर दिया गया हो किन्तु बाद में सेवा में पुनःस्थापित (बहाल) हो गया हो या पुनःस्थापित हो जाता यदि निलम्बन काल में ही विश्रामवृत्ति की आयु पर पहुँच जाने के कारण सेवा–निवृत्त नहीं कर दिया जाता। ऐसी स्थिति में पुनःस्थापन की आज्ञा देने वाला सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करेगा तथा निम्न बिन्दुओं के बारे में विशिष्ट आज्ञा जारी करेगा :–
>
> (क) कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि अथवा विश्रामवृत्ति आयु पर सेवा निवृत्त होने की तारीख को निलम्बन की अवधि, जैसी भी स्थिति हो, से कर्मचारी को दिये जाने बाले वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में; और
>
> (ख) क्या उक्त अवधि कर्त्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जावेगी अथवा नहीं।
>
> (2) **<u>जहाँ प्राधिकारी को यह स्पष्ट हो जावे कि कर्मचारी को पूर्णतया दोष–मुक्त कर दिया गया है अथवा उसका निलम्बन पूर्णतः अनुचित था तो कर्मचारी उस अवधि का वेतन एवं महँगाई भत्ता आदि उसी दर पर प्राप्त करेगा जो वह सेवा से निलम्बित, निष्कासित या अनिवार्यतः सेवानिवृत नहीं किया जाता तो, प्राप्त करता।</u>**
>
> (3) अन्य मामलों में कर्मचारी को वेतन एवं महँगाई भत्ते का ऐसा भाग दिया जावेगा जिसे प्राधिकारी आदेशों द्वारा निर्धारित करे।
>
> (4) इस नियम के खण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति के समय को सभी कार्यो के लिए कर्त्तव्य पर व्यतीत किया समय के रूप में समझा जावेगा।
>
> (5) खण्ड (3) से आवृत मामले में पद से अनुपस्थिति की अवधि को कर्त्तव्य अवधि के रूप में तब तक नहीं समझा जावेगा जब तक ऐसा सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से स्पष्ट निर्देश दे दे कि वह अवधि किसी विशेष कार्य / प्रयोजन के लिए ही कर्त्तव्य अवधि समझी जावेगी।"

5. उपरोक्त नियम–54(2) में यह प्रावधान है कि जहां कर्मचारी को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया अथवा उसका निलम्बन पूर्णतः अनुचित था तो कर्मचारी उक्त अवधि का वेतन एवं महंगाई भत्ते आदि उसी तरह प्राप्त कर

सकेगा, जो वह सेवा से निलम्बित नहीं किये जाने पर प्राप्त करता। अतः जहां पर कर्मचारी को पूर्णतः दोषमुक्त किया गया हो, वहां पर अपीलार्थी निलम्बित अवधि में समस्त वेतन एवं महंगाई भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी होता है या फिर प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया हो कि निलम्बन पूर्णतः अनुचित है उस स्थिति में भी कर्मचारी सम्पूर्ण वेतन एवं महंगाई भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया था। ऐसे में अपीलार्थी समस्त वेतन भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि अपीलार्थी को फौजदारी न्यायालय से आरोप संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया है। ऐसे में निलम्बन पूर्णतः अनुचित होना नहीं पाया गया। अपीलार्थी को पूर्ण वेतन एवं महंगाई भत्ते अदा नहीं किये गये हैं।

6. हमारे मत में समस्त साक्ष्यों पर विवेचना के पश्चात अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाकर उसे दोषमुक्त घोषित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी पूर्णतः दोषमुक्त किये जाने की श्रेणी में आता है। नियम–54(2) के तहत जहां पर पूर्णतः दोषमुक्त घोषित किया गया हो, वहां पर यह नहीं देखा जा सकता कि निलम्बन अनुचित था या नहीं। पूर्णतः दोषमुक्त घोषित किये जाने की स्थिति में कर्मचारी द्वारा नियम–54(2) राजस्थान सेवा नियम के तहत समस्त वेतन एवं महंगाई प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

7. प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16847/2019 काका सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.09.2022 को निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> "Admittedly, the respondent-department did not conduct any disciplinary proceedings against the petitioner to establish misconduct, if any. A bare perusal of the impugned order dated 01.03.2019 reveals that the same had been passed without affording any opportunity of hearing to the petitioner. A co- ordinate bench of this court in the case of Prabhat Kadavat vs. State of Rajasthan (S.B. C.W. No.2113/2011) held that the orders passed under Rule 54 of RSR by the appointing authority are quasi-judicial orders and therefore, same has to be passed after giving an opportunity of hearing to the person concerned.
>
> Such orders should assign proper and cogent reasons for either giving full pay and allowances under Rule 54 or giving only proportionate pay and allowances under Rule 54 (3) of RSR. Similar view has been taken by Coordinate Bench of this Court in cases of Kuldeep Kumar Verma Vs. State of Rajasthan & Ors.: SBCW No.13688/2015, decided on 06.12.2017 and Gautam Raj Bhansali Vs. State of Rajashthan & Ors.: SBCW No.13125/2017, decided on 20.12.2018. This Court finds that respondents whilst treating the period of suspension as period spent on duty denied full pay and allowances to the petitioner for the period of suspension. The order dated 01.03.2019 is not a reasoned order and

therefore, the same cannot be said to be in conformity with the principles of natural justice. In the result, the writ petition is allowed and the order dated 01.03.2019 passed by the respondents to the extent it denies payment of full pay and allowances to the petitioner is set aside. The respondents are hereby directed to pay difference of full pay and allowances after deduction of subsistence allowance already paid to the petitioner during period of suspension. The aforesaid payment shall be made to the petitioner within a period of three months from the date of this order "

8. माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि जहां पर पूर्ण वेतन भत्ते नहीं दिये जाने के आदेश नहीं दिये गये हैं तो वहां पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। ऐसा ही समान मत माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2386/2022 राजस्थान राज्य बनाम मंगत लाल सिघाना, में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2022 में भी दिया गया है।
9. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में भी हम पाते हैं कि आलोच्य आदेश के द्वारा निलम्बन काल में वेतन भत्तों की पूर्ण राशि नहीं दिया जाना नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है।
10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम आलोच्य आदेश दिनांक 11.07.2016 को निलम्बन काल में वेतन भत्तों के संबंध में दिये गये आदेश की हद तक अपास्त करते हैं एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को निलम्बन काल के सम्पूर्ण वेतन भत्ते उसी प्रकार से प्रदान किये जाये, जैसे की वह निलम्बित नहीं होने पर प्राप्त करता।
11. प्रत्यर्थी विभाग को उक्त आदेश की पालना करने के लिए 3 माह का समय प्रदान किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)